

प्रपत्र - ३

भाग - २

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड
- ii) जिला चमोली
- iii) वन प्रभाग बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली।
- iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का 0.310 हेक्टेयर में सिविल, 1.322 हेक्टेयर में वन पंचायत, कुल 1.632 हेक्टेयर में वन भूमि
- 8 पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्तिका
—तदैव—
- 9 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:
- i) वन का प्रकार उत्तम
- ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व प्रतिशत
- iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए प्रस्ताव में संलग्न अपेक्षित वृक्षों की परिणना
- iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए प्रस्ताव में संलग्न कार्यकरण योजना का नुस्खा
- 10 भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- 11 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 2.00 किमी।
- 12 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
- i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : लागू नहीं
- ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

- v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग लागू नहीं किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
- 13 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या शून्य प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
- 14 पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :
- क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। वन भूमि न्यूनतम है, अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं गया। स्वीकृति प्राप्त के पश्चात निर्माण करवाया जाना है।
 - यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। -
- 15 किए गए अतिकमण के ब्यौरे :
- क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ नहीं) नहीं
 - यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही शून्य
 - क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/ नहीं) नहीं
- 16 क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की संलग्न विधिक प्रारिथ्मिति।
 - अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। संलग्न है।
 - क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय हां सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/ नहीं)।
 - क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय : लाख
 - क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/ नहीं)। हां
- 17 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ नहीं)। हां
- 18 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संस्तुति की जाती है। संस्तुति की जाती है।

तिथि

स्थान —

वन क्षेत्राधिकारी
स्थिति प्रदर्शन हाँ
(नाम नामांकनहाउस)